तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4829 /2002/गंगानगर** **जगरूप सिंह व अन्य बनाम जरनेल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री सुनील कड़वासरा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

——

निर्णय

दिनांकः—19.06.2023

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 38/2001 उनवानी जगरूप सिंह बनाम जरनेल सिंह में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादी ने दावा अंतर्गत धारा 183 आर0टी0 एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), अनुपगढ़ के समक्ष चक 25 एस जे एम के मु0न0 311/364 के किला नंबर 1 ता 10 कुल 10 बीघा के संबंध में प्रस्तुत किया तथा इसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का पेश किया, जिसे दिनांक 13.06.2001 को स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर दियाा, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4829 /2002/गंगानगर** **जगरूप सिंह व अन्य बनाम जरनेल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2002 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने मण्डल के समक्ष यह निगरानी पेश की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कड़वासरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी/अप्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 68/1998 बउनवान जनरैल सिंह बनाम जगरूप सिंह व अन्य अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का प्रस्तुत किया जो दिनांक 13.06.2001 को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 38/2001 बउनवान जगरूपसिंह बनाम जरनैल सिंह पेश की गई जो निर्णय दिनांक 6.7.2002 को खारिज हो चुकी है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त रिसीवरी आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी संख्या 4829/2002 बउनवान जगरूप बनाम जरनैल सिंह मण्डल के समक्ष पेश की है । विचारण न्यायालय उप जिला कलैक्टर, अनूपगढ़ द्वारा वादी/अप्रार्थी का वाद संख्या 68/1998 बउनवान जरनैल सिंह बनाम जगरूपसिंह निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2017 को डिक्री किया जा चुका है तथा उक्त डिक्री की पालना में अप्रार्थी को कब्जा भी दे दिया गया है । जब मूल वाद का निस्तारण हो चुका है तथा अप्रार्थी को विवादित आराजी का कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4829 /2002/गंगानगर** **जगरूप सिंह व अन्य बनाम जरनेल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.5.2023 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	